

1 | विविध : 09 / 2024 "भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स प्रा0 लि0 भीलवाड़ा वगैरह "

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :: नमित मेहता, आई.ए.एस

विविध :: 09 / 2024

जीसीएमएस नम्बर :: 2024 / 75

प्रार्थी :- बननाम

अप्रार्थीगण :-

State Bank of India, Stressed Assets
Management Branch-1, 12th Floor,
Jawahar Vyapar Bhawan 1, Tolstoy
Marg, New Delhi.
जरिये प्राधिकृत अधिकारी-सुधीर
कुमार

1. M/s M.D. Suitings Private Limited
G-120, RIICO Phase-1&2, Industrial
Area Biliya, Bhilwara.
2. Pradeep kumar Surolia s/o Yugal
kishore Surolia, I-2, Basant Vihar,
Bhilwara
3. Prashant Surolia s/o Yugal kishore
Surolia, I-2, Basant Vihar, Bhilwara
4. M/s SPNR Eolutions Private
Limited, Through its Directors
Pradeep kumar Surolia s/o Yugal
kishore Surolia & Prashant Surolia
s/o Yugal kishore Surolia.
307, Apeejev House, 130 Bombay
Samachar Marg Fort, Mumbai.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल

एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटि इन्ट्रेस्ट, 2002

दिनांक:- 03.04.2024

1. प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 SARFAESI Act 2002 की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना-पत्र जरिये प्रतिनिधि श्री राम निवास स्वामी ने मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स वगैरह के विरुद्ध प्रस्तुत कए, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

2. कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता / प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अप्रार्थी / ऋणी को बैंक / कंपनी द्वारा कुल 15,39,00,000 / - रूपये (11,50,00,000 / -रु0, 2,29,00,000 / -रु0, 1,15,00,000 / - रु0 एवं 45,00,000 / -रु0) (रूपये पन्द्रह करोड उनचालीस लाख) का मोरगेज तोन का ऋण स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद / सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. Factory Land & Building situated at G-120, 1 and 2 Phase, RIICO Industrial Area, Biliya, Bhilwara, Rajasthan Admeasuring area 2025.84 Sq. Meter in the name of M/s M.D. Suitings private Limited through its Directors Pradeep kumar Surolia s/o Yugal kishore Surolia & Prashant Surolia s/o Yugal kishore Surolia Bounded by- North : Plot no. 119, South : Plot no. G-122&G-121(b), East: IIIrd Phase Plot no. F-249 & 250, West: RIICO Road 18 Meter Wide.
2. Factory Land & Building situated at G-119, RIICO Industrial Area 1 and 2 Phase, Biliya, Bhilwara, Rajasthan Admeasuring area 1917.15 Sq. Mtrs. in the name of M/s M.D. Suitings through its Partners Pradeep kumar Surolia s/o Yugal kishore Surolia & Prashant Surolia s/o Yugal kishore Surolia Bounded by- North : Plot no. G-118, South : Plot no. G-120, East: Plot no. F-250 & 251, West: Road

3. चूंकि ऋणी फलस्वरूप अप्रार्थी मैसर्स एम0डी0 सूटिंग्स प्रा0लि0 वगैरह के द्वारा बैंक / कम्पनी से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 29.11.2022 को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।



जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

की अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो पैरा संख्या 2 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पत्ति को नियमानुसार कब्जे में लिए जाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को निर्देश प्रदत्त किये जाते हैं तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने से पूर्व प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके एवं यदि संपत्ति में कोई किरायेदार है तो उस संपत्ति को छोड़ने हेतु समुचित समय देने के उपरांत ही पैरा 2 में वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण (कब्जा) कर प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार सुपूर्द करेंगे। यदि अप्रार्थी /ऋणी द्वारा बकाया ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो इस आदेश की कार्यवाही नहीं की जावे। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा सम्बन्धित अधीनस्थ पुलिस उप अधीक्षक को इस आदेश की पालना हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को आवश्यकतानुसार प्रार्थी के खर्चे पर समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय के स्वगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक /कंपनी, अप्रार्थीगण को दें।

आदेश आज दिनांक 03-04-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



9.

(नमित मेहता)
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
भीलवाड़ा